UPJS010026842026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,झांसी।

उपस्थितः–नेत्रपाल सिंह (एच०जे०एस०)

(JO CODE–UP 6348)

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं०–242/2026

बलजीत बनाम रोहिणी वरसैया आदि
थाना–मऊरानीपुर, झाँसी।
धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०

दिनांक–07.08.2026

1– प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० आदेश हेतु पेश हुआ। प्रार्थी स्वयं अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया है एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया है।

2– प्रार्थी बलजीत ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० इस आशय का प्रस्तुत किया है किः– "CJM कोर्ट झांसी में प्रार्थना पत्र संख्या 188/2026 बलजीत बनाम उत्तर प्रदेश पुलिस ग्रह सचिव आदि फेयर इंवेस्टीगेसन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4)BNSS थाना मऊरानीपुर से FIR संख्या 40/026, धारा 318(4),338,336(3), 340(2)BNSS (420,467,468,471 IPC) के मामले में CJM कोर्ट द्वारा जांच की गई जिसमें विवेचक इंद्रपालसरोज, थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार सोलंकी द्वारा झूठी जांच आख्या साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत की जिससे सुप्रीम कोर्ट के मैंडेटरी आदेश साकरी वासू बनाम स्टेट ऑफ यूपी का उल्लंघन कर मिथ्या साक्ष्य आख्या पेश की गई। दिनांक 15/4/2026 को CJM कोर्ट में प्रस्तुत की, जबकि FIR वादी रोहिणीवरसैया w/o हेमंत वरसैया, हेमंतवरसैया के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य की झूठी FIR अधिवक्ता के खिलाफ रंजिश्न दर्ज कराई जो दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित अपराध है। किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज फर्जी तैयार नहीं किया गया तथा विवेचक इन्द्र कुमार सरोज ने प्रार्थी के फोन पर बताया कि आप पर 467,468,471, 420 IPC का अपराध नहीं बनता है जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग है जिससे इंद्रपाल सरोज व मुकेश कुमार सोलंकी द्वारा पद का दुरूपयोग कर दलित उत्पीड़न कि धारा 3(2), 1,2 SC/ST एक्ट का अपराध किया गया है जो दस्तावेजी साक्ष्य व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है। उक्त अपराध की जांच CO जितेंद्र कुमार मऊरानीपुर के द्वारा की जा रही है जिसमें DIG झांसी ने CO मऊरानीपुर को फर्जी FIR 40/2026 की जांच करने का आदेश दिया था ताकि सुप्रीमकोर्ट के मैंडेटरी आदेश 1685/2007 साकरी वासू बनाम स्टेट ऑफ यूपी का पालन करने के लिए जांच का आदेश किया था जिसमें प्रार्थी ने CO कार्यालय मऊरानीपुर में अपना बयान दर्ज कराया था तथा साक्षियों का भी बयान दर्ज कराया था। दिनांक 09/05/26 को CO मऊरानीपुर ने इंद्रपाल सरोज को बुलाया तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पाक –साफ जांच का आदेश दिया तथा दस्तावेजी साक्ष्यों को विवेचना मैं शामिल करने को कहा, लेकिन इंद्रपाल सरोज भड़क गए तथा कहने लगे कि तुम हमारी बहुत–सी शिकायते करते हो तथा हमारे खिलाफ मुकदमा लड़ते हो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे तथा तुम्हें अपराधी बना के ही चैन लेंगे। DIG झांसी ने पत्रांक संख्या सी०ओ० जे० शि०प्र०के–A–(झांसी–316) 4371 दिनांक 22/04/026 को DIG झांसी ने जांच के आदेश किए थे जिसमें सही जांच नहीं की गई है। उपरोक्त F.I.R में दस्तावेजी साक्ष्य की कूटरचित रचना करना बताया तथा आपराधिक षड्यन्त्र करना बताया। नकल तहरीर के आधार पर घटनास्थल का नाम नहीं है तथा घटना की तारीख नहीं है। कूटरचित दस्तावेज का नाम

Digitally signed by NETRA PAL SINGH
Date: 2026.08.07 18:05:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नहीं है जो CRPC कि धारा 177 से बाधित है जो 197, BNSS वर्तमान धारा है। एसी स्थिति में फ्रॉड F.I.R की विवेचना करने तथा F.I.R दर्ज करने का अधिकार थाना मऊरानीपुर पुलिस को नहीं था। F.I.R वादिया रोहिणी ने अपने पति हेमंत वरसैया पर दर्ज F.I.R संख्या 523/2025 धारा 105 BNS थाना मऊरानीपुर में दर्ज अपने पति को गैर इरादतन हत्या के मामले में पैरवी कर रहे वकील व सहयोगी पुरुषोत्तम राय पर राजीनामा का दवाब मौखिक रूप से बनाया गया था बात ना मानने पर प्रार्थीगणों पर फर्जी F.I.R दर्ज करा दी जिसका षड्यन्त्रकारी दरोगा इंदपालसरोज है जो पैसा लेकर फर्जी F.I.R दर्ज कर देता है तथा पैसे की अवैध वसूली करता है। ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है जिसकी जांच का आदेश CJM कोर्ट ने किया था। F.I.R वादिया ने दिनांक 11/11/2025 थाना मऊरानीपुर से सूचना प्राप्त होना बताया कि आपराधिक प्रार्थना पत्र 2066/2025 हेमंत वरसैया के खिलाफ CJM न्यायालय में झांसी पहुँच कर पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें बलजीत अहिरवार का वकालतनामा संलग्न बताया रोहिणी को न्यायालय में अवलोकन किए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि रोहिणी अधिवक्ता नहीं है न ही रोहिणी ने किसी अधिवक्ता से मुआयना कराया तथा वकालत नामा का निरस्त होना बताया गया जिसे कूटरचित दस्तावेजी साक्ष्य मानकर F.I.R 40/2026 थाना मऊरानीपुर में दर्ज करा दी थी जिसका षड्यन्त्र कारी दरोगा इंदपालसरोज है, जबकि बारकाउंसिल द्वारा जारी पत्र का आदेश 3/8/2025 को 4 माह बाद जारी किया गया जिसकी तारीख 29/11/2025 को भेजा गया जो 4/12/2025 को मीडिया में जारी किया गया। एकपक्षीय आदेश की जानकारी 4/12/025 को प्राप्त हुई जिसका रजिस्टर्ड दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में सम्मिलित किया है जिसकी विवेचना बारकाउंसिल उत्तर प्रदेश के द्वारा विचाराधीन है जिससे साबित होता है रोहिणी द्वारा फ्रॉड F.I.R से कोई अपराध का होना साबित नहीं होता है अपने पति पर दर्ज गैरइरारतन हत्या के मामले में दबाब बनाने हेतु प्रार्थी को फसाया जा रहा है जिससे विवेचक को F.I.R दर्ज करने से पूर्व घटित घटनास्थल तथा कूटरचित दस्तावेज का अध्ययन करने के बाद F.I.R लिखी जाती है एसी स्थिति में झूठी F.I.R के लिए वादिया रोहिणी तथा षड्यन्त्रकारी इंस्पेक्टर इंदपालसरोज व थाना प्रभारी दोषी मानें जाएंगे सुप्रीमकोर्ट की नई गाइडलाइन के अनुसार गलत F.I.R कराने वाले तथा करने वाले पर F.I.R दर्ज किए जाने का आदेश सुप्रीमकोर्ट ने दिया है। F.I.R 40/2026 की विवेचना बंद करने के लिए SSP झांसी व DJP से कार्यवाही किए जाने की रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक है। जिसे सही ढंग से व ईमानदारी से विवेचना किये जाने का आदेश एस०एस०पी०झासी व विवेचक को दिया जाये जिसके सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के मैंडेटरी आदेश दि० 07.12.2007 कि०अपील सं० 1685/2007 साकिरी बासु बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का मैंडेटरी आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सभी हाई कोर्ट व सभी राज्य सरकारो को आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाये पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट आफ कन्टेम्प्ट की कार्यवाही अमल में लाई जाये जो न्यायहित में है। विवेचक के द्वारा झूठी विवेचना की जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गयी है। जिसमें विवेचक को सही विवेचना किये जाने व दस्तावेजी साक्ष्य व इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य को विवेचना में शामिल किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये जो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेटरी आदेश के अनुपालन में आवश्यक है। विपक्षी रोहिणी वरसैया व हेमंत वरसैया व इंद्रपाल सरोज के द्वारा CJM कोर्ट झांसी में फेयर इंवेस्टीगेशन प्रार्थना पत्र 188/026 में इंद्रपाल सरोज ने दिनांक 15/4/2026 को न्यायालय में झूठी आख्या प्रस्तुत की विपक्षियों से मिलकर जान बूझकर इंद्रपाल सरोज व मुकेश कुमार सोलंकी रोहिणी वरसैया व हेमंत वरसैया के द्वारा षड्यन्त्र रचकर अपने पद का दुरूपयोग जानते हुए फ़र्जी दस्तावेज तैयार कर झूठी आख्या बनाने का दलित उत्पीड़न किए जाने की मंशा से झूठी आख्या CJM न्यायालय में प्रस्तुत की है जिससे सुप्रीम कोर्ट के मैंडेटरी आदेश का उल्लंघन

किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ की सात जजों का फैसला साकिरी वासू बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 07.12.2007 को यह आदेश पारित किया कि धारा 156 (3) सी०आर०पी०सी० के तहत / अन्तर्गत धारा 175 (4) बी०एन०एस०एस० के तहत सुनवाई करने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त होता है जिसके आधार पर F.I.R 40/2026 दिनांक 29/01/2026 धारा 318 (4),338,336 (3), 340 (2), BNS थाना मऊरानीपुर जो दस्तावेजी साक्ष्य का अपराध है जिसमें कोई भी कूटरचित दस्तावेजी साक्ष्य तैयार नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में SSP झाँसी को दिनांक 9/5/026 को रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन थाना मऊरानीपुर पुलिस के खिलाफ मामला होने की वजह से थाना मऊरानीपुर पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। तथा इन्दरपाल सरोज की मो० रिकॉर्डिंग है जिसके अनुसार कथन में कोई धारा नहीं बन रहीहै। यह बात पुलिस दरोगा ने फोन लगा कर प्रार्थी को दी है। उक्त आधार पर विपक्षीगण के विरुद्ध थाना मऊरानीपुर पुलिस को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने हेतु आदेशित करने की याचना की गई है।"

3– प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में शपथपत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, मूल डाक रसीद, व जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रित संलग्न की गयी है।

4– प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाना–मऊरानीपुर, जिला–झाँसी के प्रभारी निरीक्षक से आख्या आहूत की गयी। संबंधित थाना प्रभारी द्वारा आख्या प्रस्तुत कर कहा गया है किः– "शिकायतकर्ता श्रीमती रोहिणी बरसैया पत्नी हेमन्त बरसैया निवासी परवारीपुरा थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी द्वारा न्यायालय श्रीमान सी० जे०एम० कोर्ट झाँसी में श्रीमती शशि राय पत्नी वीरू राय निवासी मोहल्ला कुरैचानाका कस्बा व थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस बनाम हेमन्त बरसैया आदि में वकील बलजीत द्वारा शशिराय की तरफ से मुकदमा लड़ने हेतु अपना विधिव्यवसाय लाइसेन्स (वकालतनामा) दिनाँक 03.08.2025 को बार काउन्सिल आफ प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा 05 वर्ष के लिए निलम्बित होने के उपरान्त भी दिनाँक 10–11–2025 को विधिव्यवसाय लाइसेन्स से लाभ कमाने के उददेश्य से दाखिल किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में रोहिणी बरसैया द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी को वकील बलजीत अहिरवार व पुरुषोत्तम राय के विरूद्ध शिकायती प्रार्थनापत्र दिया गया था। जिसकी जाँचोपरान्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के आदेशानुसार दिनाँक 29.01.2026 को मु0अ0सं0 40/2026 धारा 318(4)/338/ 336(3)/ 340(2) बीएनएस बनाम बलजीत अहिरवार व पुरूषोत्तम राय के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना अतिरिक्त निरीक्षक श्री इन्द्रपाल सरोज द्वारा सम्पादित की जा रही है जिस सम्बन्ध में वकील बलजीत अहिरवार को अन्तर्गत धारा 35(3) बीएनएसएस की नोटिस तामील कराने हेतु पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री की गयी तथा विवेचक द्वारा फोन से सूचित करने पर दिनाँक 09.05.2026 को क्षेत्राधिकारी मऊरीपुर कार्यालय में धारा 35(3) बीएनएसएस की नोटिस तामील करायी गयी है। इसी रंजिश के कारण वकील बलजीत अहिरवार द्वारा अपने अपराध को छिपाने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र रोहिणी बरसैया व हेमन्त बरसैया तथा पुलिस इन्सपेक्टर इन्दरपाल सरोज तथा प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार सोलंकी एवं क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के विरूद्ध पेशबन्दी में दाखिल किया गया है जबकि इस सम्बन्ध में वकील बलजीत अहिरवार द्वारा पूर्व में दाखिल प्रार्थना पत्र पर न्यायालय सी० जे०एम० कोर्ट झाँसी में दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0 188/2026 बलजीत आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्तर्गत धारा 173 (4) बीएनएसएस थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी में दौरान सुनवाई दिनाँक 17.04.2026 को न्यायालय सी०जे० एम० कोर्ट झांसी द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त किया जा चुका है। आदेश की प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में वर्तमान में थाना

मऊरानीपुर में वकील बलजीत अहिरवार व पुरुषोत्तम राय के विरूद्ध मु० अ० सं० 40/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है जिसकी विवेचना गुणदोष के आधार पर की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। इसी मुकदमे से बचने के लिए वकील बलजीत अहिरवार द्वारा पेशबन्दी में आरोप लगाकर रोहिणी बरसैया व पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निरस्त होने योग्य है।"

5– उक्त प्रार्थनापत्र पर संबंधित थाना मऊरानीपुर से आख्या आहूत की गयी है जिसमें अवगत कराया गया कि "मऊरानीपुर जनपद झाँसी द्वारा न्यायालय सी० जे०एम० कोर्ट झाँसी में श्रीमती शशि राय पत्नी वीरू राय निवासी मोहल्ला कुरैचानाका कस्बा व थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बीएनएसएस बनाम हेमन्त बरसैया आदि में वकील बलजीत द्वारा शशि राय की तरफ से मुकदमा लड़ने हेतु अपना विधिव्यवसाय लाइसेन्स (वकालतनामा) दिनाँक 03.08.2025 को बार काउन्सिल आफ प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा 05 वर्ष के लिए निलम्बित होने के उपरान्त भी दिनाँक 10–11–2025 को विधिव्यवसाय लाइसेन्स से लाभ कमाने के उददेश्य से दाखिल किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में रोहिणी बरसैया द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झाँसी को वकील बलजीत अहिरवार व पुरुषोत्तम राय के विरूद्ध शिकायती प्रार्थानपत्र दिया गया था जिसकी जाँचोपरान्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के आदेशानुसार दिनाँक 29.01.2026 को मु०अ०सं० 40/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस बनाम बलजीत अहिरवार व पुरुषोत्तम राय के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना अतिरिक्त निरीक्षक श्री इन्द्रपाल सरोज द्वारा सम्पादित की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में अब तक पर्चा नं० 01 से पर्चा 17 तक जिसमें पर्चा नं० 17 दिनाँक 30.05.2026 को किता किया जा चुका है। अभियोग में नामित वकील बलजीत अहिरवार को अन्तर्गत धारा 35 (3) बीएनएसएस की नोटिस तामील करने हेतु पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री की गयी तथा विवेचक द्वारा फोन से सूचित करने पर दिनाँक 09.05.2026 क्षेत्राधिकारी मऊरीपुर कार्यालय में धारा 35 (3) बीएनएसएस की नोटिस तामील कराकर बयान अंकित किया गया है तथा अभियुक्त पुरुषोतत्तम राय को जरिये रजिस्ट्री डाक नोटिस बावत बयान अंकित कराने हेतु दो बार भेजा गया था, किन्तु रजिस्ट्री डाक लेने से इन्कार किया गया है और घर पर भी जाकर नोटिस तामील कराने का प्रयास किया गया, परन्तु मौजूद नहीं मिले। वर्तमान में विवेचना प्रचलित है। इसी कारण से वकील बलजीत अहिरवार द्वारा अपने अपराध को छिपाने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र रोहिणी बरसैया व हेमन्त बरसैया तथा पुलिस इन्सपेक्टर इन्द्रपाल सरोज तथा प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार सोलंकी एवं क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के विरूद्ध पेशबन्दी में दाखिल किया गया है। जबकि इस संबंध में वकील बलजीत अहिरवार द्वारा पूर्व में दाखिल प्रार्थनापत्र पर न्यायालय सी.जे.एम. कोर्ट झांसी में दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं० 188/2026 बलजीत आदि बनाम उ० प्र० राज्य अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी में दौरान सुनवाई दिनांक 17.04.2026 को न्यायालय सी.जे.एम. कोर्ट झांसी द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त किया जा चुका है। आदेश की प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण के संबंध में वर्तमान में थाना मऊरानीपुर में वकील बलजीत अहिरवार व पुरूषोत्तम राय के विरूद्ध मु० अ० सं० 40/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है जिसकी विवेचना गुणदोष के आधार पर की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। इसी मुकदमे से बचने के लिए वकील बलजीत अहिरवार द्वारा पेशबन्दी में मु० अ० सं० 40/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. की वादिया रोहिणी बरसैया व उसके पति हेमंत बरसैया एवं पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष मुकदमा लिखाये जाने के उद्देश्य से मनगढन्त

आरोप लगाकर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थनापत्र में सम्मिलित आरोपों के संबंध में कोई अपराध सृजित होना नहीं पाया गया है। इस कारण से थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।"

6– विपक्षीगण के लोक सेवक होने के कारण धारा 175(4) बी.एन.एस.एस. के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को अन्तर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट एवं संबंधित विपक्षीगण का स्पष्टीकरण तलब किया गया है जिसमें पूर्व में किये गये कथनों की पुनरावृत्ति की गय है।

7– मेरे द्वारा प्रार्थी बलजीत सिंह अहिरवार स्वयं अधिवक्ता के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों, थाने से प्राप्त आख्या एवं अन्य समस्त प्रपत्रों का सम्यक रूप से अवलोकन एवं परिशीलन किया गया है।

8– प्रार्थी बलजीत स्वयं अधिवक्ता का तर्क है कि धारा 173(4) सपठित धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. में मुकदमा पंजीकृत कराकर विवेचना कराने का आदेश पारित करने के स्तर पर मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश को केवल प्रथमदृष्टया यह देखने की आवश्यकता है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों के आधार पर कोई संज्ञेय मामला बनता है अथवा नहीं। इस स्तर पर न तो मामले के गुण–दोष पर विचार किया जाना है और न ही गुण–दोष के संबंध में कोई निष्कर्ष दिया जाना है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है। विपक्षी सं० 1 व 2 ने विपक्षीगण सं० 3,4 व 5 से मिलकर प्रार्थी के विरूद्ध झूठे एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर मु० अ० सं० 40/2026 अन्तर्गत धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2) बी०एन० एस० पंजीकृत कराया है, जिसमें विपक्षी सं० 3 इन्द्रपाल सरोज पुलिस इन्सपेक्टर एवं विपक्षी सं० –4 मुकेश कुमार सोलंकी थानाध्यक्ष मऊरानीपुर निष्पक्ष विवेचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रार्थी के विरूद्ध आरोपपत्र पूर्णतः काल्पनिक एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रेषित करने की फिराक में हैं। प्रार्थी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साकिरी वासू बनाम उ० प्र० राज्य में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, परन्तु विपक्षीगण ने प्रार्थी का साक्ष्य ग्रहण नहीं किया है तथा निष्पक्ष विवेचना नहीं की जा रही है। विपक्षीगण द्वारा मनमाने कार्य के लिए उनके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर विवेचना कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है।

9– विपक्षीगण 3, 4 व 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. की सुनवाई के स्तर पर विपक्षीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित नहीं है अतः इस प्रार्थनापत्र का निस्तारण प्रार्थी बलजीत एडवोकेट के तर्कों एवं उनके द्वारा दाखिल किये गये प्रपत्रों के आधार पर किया जा रहा है।

10– प्रार्थी अधिवक्ता बलजीत के तर्कों पर विचार करने व पत्रावली में प्रार्थी द्वारा दाखिल किये गये व संबंधित थाने से प्राप्त आख्या के साथ प्रेषित किये गये प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बलजीत के विरूद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के आधार पर बारकाउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा डी.सी. केस नं० 517/2024 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2025 के अनुसार एडवोकेट बलजीत सिंह अहिरवार रजिस्ट्रेशन नं०–UP4674/2006, जो तहसील मऊरानीपुर जिला झांसी में प्रक्टिस कर रहे थे, उनका रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष के लिए निलंबित किया गया है। बारकाउंसिल ऑफ उ० प्र० के समक्ष सुनवाई एवं समस्त कार्यवाही के दौरान प्रार्थी बलजीत सिंह अहिरवार एडवोकेट बारकाउंसिल ऑफ उ० प्र० में उपस्थित रहे हैं तथा उन्हें सभी कार्यवाही की पूर्ण जानकारी रही है। ऐसी स्थिति में उनका यह कहना कि उन्हें बारकाउंसिल ऑफ उ० प्र० द्वारा उनके रजिस्ट्रेशन को 5 साल के लिए लंबित करने की जानकारी नहीं थी, पूर्णतः असत्य एवं काल्पनिक प्रतीत होता है। प्रार्थी बलजीत ने बारकाउंसिल ऑफ उ० प्र० के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद

में रिट–सी. नं० 2004/2026 एडवोकेट बलजीत सिंह अहिरवार बनाम बारकाउंसिल ऑफ उ० प्र० एवं तीन अन्य में चुनौती दी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2026 को आदेश पारित करते हुए बारकाउंसिल ऑफ उ० प्र० द्वारा प्रार्थी बलजीत सिंह अहिरवार के वकालत करने के रजिस्ट्रेशन को निलंबित करने के बावत पारित आदेश दिनांकित 03.08.2025 का क्रियान्वयन स्थगित किया गया है। बारकाउंसिल ऑफ उ० प्र० द्वारा पारित आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी बलजीत सिंह अहिरवार का वकालत करने का रजिस्ट्रेशन दिनांक 03.08.2025 से 23.03.2026 तक निलंबित रहा है तथा प्रार्थी ने वकालत करने के रजिस्ट्रेशन के निलंबित रहने के दौरान पैरवी करने के लिए वकालतनामा दाखिल करने पर विपक्षी सं० –1 रोहिणी वरसैया द्वारा दिनांक 29.01.2026 को थाना मऊरानीपुर में मु० अ० सं० 40/2026 अन्तर्गत धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2) बी०एन० एस० में पंजीकृत कराया गया है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार मामले की विवेचना प्रचलित है तथा दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। थाने से यह भी आख्या प्रेषित की गयी है कि विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य व सामग्री पायी जायेगी उसके आधार पर वैध कार्यवाही की जायेगी। प्रार्थी बलजीत सिंह अहिरवार के विरूद्ध संबंधित थाना मऊरानीपुर में मु० अ० सं० 40/2026 अन्तर्गत धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2) बी०एन० एस० पंजीकृत है तथा उसकी विवेचना सक्षम पुलिस अधिकारियों द्वारा सम्पादित की जा रही है। प्रार्थी की ओर से निष्पक्ष विवेचना कराने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साकिरी वासू बनाम उ० प्र० राज्य में दिये गये प्रावधानों के अनुसार स्वच्छ एवं निष्पक्ष विवेचना किया जाना सुनिश्चित करे। प्रकरण में विवेचना अभी भी प्रचलित है। जबकि विवेचना के लंबित रहने के दौरान प्रार्थी बलजीत सिंह अहिरवार एडवोकेट विवेचना को प्रभावित करने के लिए एवं विवेचक व अन्य पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाने के आशय से विपक्षीगण के विरूद्ध पूर्णतः अस्पष्ट, काल्पनिक, बनावटी एवं असत्य कथनों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराना चाहता है।

11– धारा 173(4) सपठित धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. में मुकदमा पंजीकृत करने के स्तर पर न्यायालय को केवल प्रथमदृष्टया मामला देखने की आवश्यकता है, परन्तु इस स्तर पर भी मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए तथा प्रकरण के सभी तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार कर यह देखते हुए न्यायिक आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है कि कोई व्यक्ति विधि के प्रावधानों व न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व अपने विपक्षी को तंग व परेशान करने के लिए मुकदमा पंजीकृत कराने का प्रयास तो नहीं कर रहा है।

12– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **Omprakash Ambadkar vs State of Maharastra & ors.2025 INSC 139 Criminal Appeal No.–352/2020** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक–16.01.2025 को अवधारित किया गया है कि **मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराने के संबंध में निर्देश जारी करने से पूर्व मजिस्ट्रेट को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों के साथ–ही–साथ मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए तथा मजिस्ट्रेट को मशीनीकृत तरीके से मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित नहीं करना चाहिए।** इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत अनेक मामलों को संदर्भित करते हुए यह भी

अवधारित किया है कि धारा–156(3) द०प्र०सं० (धारा–173(4) व 175(3) बी०एन०एस०एस०) के प्रावधानों का उपयोग वास्तविक रूप से सताये हुए व्यक्ति को अनुतोष प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसे किसी भी व्यक्ति को अपने विपक्षी का शोषण करने व उस पर मनचाहा दबाव बनाने के हथियार के रूप में प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

13– इसी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा–156(3) द०प्र०सं० (धारा–173(4) व 175(3) बी०एन०एस०एस०)के मूलभूत अंतर को स्पष्ट करते हुए अवधारित किया गया है किः– "31. A comparison of Section 175(3) of the BNSS with Section 156(3) of the Cr.P.C. *indicates three prominent changes that have been introduced by the enactment of BNSS as follows:*

> **a.** First, the requirement of making an application to the Superintendent of Police upon refusal by the officer in charge of a police station to lodge the FIR has been made mandatory, and the applicant making an application under Section 175(3) is required to furnish a copy of the application made to the Superintendent of Police under Section 173(4), supported by an affidavit, while making the application to the Magistrate under Section 175(3).
>
> **b.** Secondly, the Magistrate has been empowered to conduct such enquiry as he deems necessary before making an order directing registration of FIR.
>
> **c.** Thirdly, the Magistrate is required to consider the submissions of the officer in charge of the police station as regards the refusal to register an FIR before issuing any directions under Section 175(3)."

14– इसी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है किः– "34. In light of the judicial interpretation and evolution of Section 156(3) of the Cr.P.C. by various decisions of this Court as discussed above, it becomes clear that the changes introduced by Section 175(3) of the BNSS to the existing scheme of Section 156(3) merely codify the procedural practices and safeguards which have been introduced by judicial decisions aimed at curbing the misuse of invocation of powers of a Magistrate by unscrupulous litigants for achieving ulterior motives.

35. Further, by requiring the Magistrate to consider the submissions made by the concerned police officer before proceeding to issue directions under Section 175(3), BNSS has affixed greater accountability on the police officer responsible for registering FIRs under Section 173. Mandating the Magistrate to consider the submissions of the concerned police officer also ensures that the Magistrate applies his mind judicially while considering both the complaint and the submissions of the police officer thereby ensuring that the requirement of passing reasoned orders is complied with in a more effective and comprehensive manner."

15– कुसुम कन्नौजिया बनाम उ० प्र० राज्य 2026 AHC 46823 क्रिमिनल अपील नं० 2318/2026 निर्णीत दिनांक 09.03.2026 इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अवधारित किया गया है कि –11. Therefore, the Special Court or Magistrate is not bound to direct registration of an FIR in every case merely because the applicant belongs to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe community. The Court must first evaluate the allegations placed before it and thereafter decide whether it is appropriate to direct investigation by the police or to proceed with the matter as a complaint case.

16– प्रार्थी बलजीत अपने विरूद्ध थाना मऊरानीपुर में पंजीकृत मु० अ० सं० 40/2026 अन्तर्गत धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2) बी०एन० एस० में की जा रही विवेचनात्मक कार्यवाही को प्रभावित करने के लिए एवं विवेचक व अन्य पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों तथा वादिया मुकदमा व उसके पति पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाने के आशय से उनके विरूद्ध पूर्णतः काल्पनिक, बनावटी एवं असत्य कथनों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराना चाहता है। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों एवं तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित करने हेतु कोई भी न्यायोचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार प्रार्थी बलजीत का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी बलजीत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक–07.08.2026

(नेत्रपाल सिंह)
विशेष न्यायाधीश
एस.सी./एस.टी.एक्ट झांसी।